

3-7-19

पत्रावली पेश हुई। वकील शाही उपर्युक्त सल
वाट 09 R-5 में स्वादेज हो चुका है इसलिये
T-1. गाठ पत्रका डबकोई साँवलेय नहीं रह
जाया है अतः मूल वाट के परिपेक्ष T-1.
गाठ पत्र भी स्वादेज किया गया। पत्रावली
के सल शुमार टोकर डे नम्बर से करा हो।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

सुप खण्ड अधिकारी
साँगर बँक

Web Copy - Not Official